

25/5/25

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सचिव
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व भागेशानुसार
दिनांक 25/5/25 को पेश है।

04/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय अड्डा। उकरण कार्यवाही
में सुगर्वा हेतु बार-बार आवाज दिलाई गई,
बाबूपुत्र वकुलाय अथवा पक्षकारात में से कोई भी
हाजिर अदालत नहीं आये। अतः वकुलाय अथवा
पक्षकारात की अनुपस्थिति में उकरण कार्यवाही
को अदालत हाजती व अदालत में रखा जा रहा है।
पत्रावली फ़ैलल शुमार होकर नम्बर से
कम हो तथा बाद तकमील दायिल दफ्तर हो। निर्णय
सरे इजलास सुनाया गया।

(Signature)

